

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in  
क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/18/85731 दिनांक :- 18/12/18

संशोधित मिटिंग आदेश

निधारित SBM एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की प्रगति की समीक्षा हेतु निदेशक एवं संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित मिटिंग दिनांक 20.12.2018 में विभागीय आदेश क्रमांकएफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/18/85241 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की प्रगति की समीक्षा हेतु निदेशक एवं संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार निदेशालय संभागार में विवरणानुसार बैठक का आयोजन किया जायेगा, जिसमें संभाग की समस्त नगरीय निकायों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा होगी अप्रीहाय कार्या के कारण निम्न आशिक संशोधित किया जाता है।:-

क्र. स.	पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय	संशोधित तिथि एवं समय
1.	दिनांक 20.12.2018 के प्रातः 10.30 बजे से जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, झुझुनू, सीकर जिले की समस्त नगरीय निकाय	1. दिनांक 20.12.2018 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर संभाग की जयपुर, दौसा, अलवर जिले की समस्त नगरीय निकाय 2. दिनांक 20.12.2018 को साय 02.30 बजे जयपुर संभाग की झुझुनू, एवं सीकर जिले की समस्त नगरीय निकाय

शेष यथावत।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 18/12/18

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 18/ 85732 - 771  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
4. उपनिदेशक क्षेत्रीय जयपुर।
5. नगर निगम से उपायुक्त/अधिशायी अभियंता/संबन्धित सहायक अभियंता (पर्यावरण)।
6. नगर परिषद से उपायुक्त/अधिशायी अभियंता/संबन्धित सहायक अभियंता (पर्यावरण)।
7. नगर पालिका से अधिशायी अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता संबन्धित।
8. टीमलीडर, पीएमयू, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
9. CMAR को निर्देशित करते हुए लेख है कि दिनांक 17,18,19 एवं 20 दिसम्बर 2018 को आयोजित बैठक की प्रात की नगर निकायों के अधिकारियों हेतु दोपहर के जल एवं भोजन की व्यवस्था एवं साय की नगर निकायों अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
10. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
11. केयर टेकर को भेजकर लेख है की मिटिंग हॉल में बैठने की व्यवस्था एवं प्रोजेक्टर इत्यादि को चालू करवावे।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)  
मुख्य अभियंता